होने से ...
को पेश ...।

आज्ञा से
रीडर

30.5.25 पत्रावली पेश हुई। ~~वकुल~~ वादी अधिवक्ता उपस्थित। हालात
प्रकरण का मूल वाद खारिज होने से इसके अब कोई कार्यवाही शेष
नहीं रहती है। अतः प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता
हो। निर्णय फोइजलान किया गया। प्रकरण फैसल हुआ होकर नम्बर
से कम हो।

(लतिका कुमारी)
RJS